

साक्षात्कार शुरू होने से पहले आप को किन अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए?

1. किसी सॉलिसिटर के साथ गोपनीय परामर्श, और साक्षात्कार के दौरान सहायता का अधिकार

A. सॉलिसिटर

- आप अपने पसंद के सॉलिसिटर से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आपके पास सॉलिसिटर नहीं है या यदि वह आने से रोका जा रहा है या रोकी जा रही है, तो आप ड्यूटी सॉलिसिटर के बार असोसिएशन पूल से सॉलिसिटर से संपर्क के लिए कह सकते हैं।
- यदि आप अनिवार्य विधिक शर्तों को पूरा करते हैं, तो यह विधिक सहायता पूर्णतया या आंशिक रूप से पूरी तरह निःशुल्क है। आप प्रपत्र के लिए पूछ सकते हैं जो कानूनी सहायता के लिए शर्तों के बारे में बताता है।

B. अग्रिम रूप से गोपनीय परामर्श

- सॉलिसिटर अथवा ड्यूटी सॉलिसिटर के बार असोसिएशन पूल के साथ संपर्क होने के 2 घंटों के भीतर, आपको अपने सॉलिसिटर के साथ अगले साक्षात्कार से पहले अधिकतम 30 मिनट के लिए गोपनीय परामर्श करने का अधिकार है, जो साक्षात्कारकर्ता के निर्णय से एक असाधारण आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- यह परामर्श दोनों दूरभाष अथवा साक्षात्कार के स्थान पर हो सकता है।

C. साक्षात्कार के दौरान कानूनी सहायता

- आप साक्षात्कार के समय अपने सॉलिसिटर की सहायता लेने के पात्र हैं। आपके सॉलिसिटर की उपस्थिति के बिना पूछताछ शुरू नहीं हो सकती।
- आपका सॉलिसिटर सुनिश्चित करेगा:
 - कि आपके मूक रहने के अधिकार और स्वयं को आरोपित न करने के अधिकार का सम्मान किया गया है;
 - साक्षात्कार के दौरान आपसे जैसा व्यवहार किया गया है, आपके ऊपर कोई मजबूरी या अवैध दवाब नहीं डाला गया है;
 - कि आपको आपके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया है और साक्षात्कार की विधि के बारे में बताया गया है।

यदि इस संबंधी आपके सॉलिसिटर की कोई टिप्पणियाँ हैं, तो वह इसे तुरंत पुलिस साक्षात्कार बयान में रिकार्ड करवा सकता है।

आपका सॉलिसिटर विशेष जाँच या विशेष व्यक्ति को साक्षात्कार लेने के लिए कह सकता है। वह पूछे जा रहे सवालों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। वह जांच और साक्षात्कार के संबंध में टिप्पणियाँ दे सकता है। उसे आपकी जगह में जवाब देने या साक्षात्कार में बाधा डालने की अनुमति नहीं है।

- आप को या आपके सॉलिसिटर को केवल एक अवसर पर अतिरिक्त गोपनीय परामर्श के लिए साक्षात्कार को स्थगित करने का अधिकार है।

यदि साक्षात्कार के दौरान नए तथ्य उभरते हैं, तो आप अपने सॉलिसिटर से अतिरिक्त गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। यह परामर्श 15 मिनट से अधिक नहीं चल सकता है।

D. अधित्याग

आप सॉलिसिटर के साथ परामर्श करने या उसकी सहायता के लिए अनुरोध करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

आप स्वेच्छा से तथा गम्भीरता से विचार करने के पश्चात इस अधिकार का अधित्यज्ज कर सकते हैं, यदि आप:

- व्यस्क हैं;
- एक बार जब आप इस आशय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दें तथा दिनांक डाल दें।
- यदि संभव हो, साक्षात्कार को फिल्माया जा सकता है। आप इसके बारे में अपने सॉलिसिटर से चर्चा कर सकते हैं।

इन मामलों में, आप बार एसोसिएशन के इयूटी वकीलों के पूल में से किसी से टेलीफोन नंबर पर बात कर सकते हैं।

E. अपवाद

अपवादात्मक शर्तों या अप्रतिरोध्य कारणों की घटना होने पर, लोक अभियोजनों का निदेशक तथा परीक्षण मजिस्ट्रेट आपको अग्रिम रूप में गोपनीय परामर्श अथवा साक्षात्कार के दौरान किसी सॉलिसिटर से सहायता का अधिकार नहीं प्रदान करने का निर्णय कर सकता है। उसे इस निर्णय को अवश्य न्यायसंगत करना चाहिए।

2. तथ्यों के बारे में संक्षिप्त सूचना

- आप को उन तथ्यों के बारे में कहने का अधिकार है जिस के अनुसार आप का साक्षात्कार किया जाएगा।

3. मूक रहने का अधिकार

- किसी भी स्थिति में आप स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
- अपनी पहचान प्रकट करने के बाद, आप वक्तव्य देना, प्रश्नों के उत्तर दें या मूक रहना चुन सकते हैं।

4. किसी को यह बताना कि आप गिरफ्तार हो गए हैं

आपको किसी तीसरे पक्ष को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

तथापि, परीक्षण मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक अभियोक्ता द्वारा अप्रतिरोध्य आधार पर जाँच के लिए आवश्यक समय के लिए इस को टाला जा सकता है।

5. चिकित्सीय सहायता

- आपको निःशुल्क चिकित्सीय सहायता लेने का अधिकार है, यदि आवश्यक हो।
- आप अपनी जाँच करवाने के लिए अपनी पसंद के किसी चिकित्सक को भी कह सकते हैं। ऐसी जाँच आपके खर्च पर होगी।

6. दुभाषिया सहायता और अनुवाद का अधिकार

- यदि आप भाषा को समझते या बोलते नहीं हैं, या यदि आपको सुनने या बोलने में बाधा है, आप निम्न के दौरान एक शपथबद्ध दुभाषिया प्राप्त करने के हकदार हैं:
 - अपने सॉलिसिटर के साथ गोपनीय परामर्श। (यदि आपका सॉलिसिटर आपकी भाषा नहीं समझता या बोलता है)।
 - पूछताछ।यह सहायता निःशुल्क है।
- यदि आप कार्यवाही की भाषा को समझने में असमर्थ हैं, तो आप गिरफ्तारी वारंट, सम्मन और अदालत के फैसले के प्रासंगिक अंशों का उस भाषा में अनुवाद के हकदार हैं जिसे आप समझने में सक्षम हैं। यह अनुवाद निः शुल्क है।
- आपको अपना बयान अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा जाएगा।

साक्षात्कार के दौरान आपके अतिरिक्त अधिकार क्या हैं?

7. साक्षात्कार के दौरान अन्य अधिकार

साक्षात्कार कई प्रकार की बातचीत से शुरू होता है। तथ्यों के बारे में संक्षिप्त सूचना दोहराने तथा मूक रहने के अधिकार के अतिरिक्त, आपको कहा जाएगा कि:

- आप अनुरोध कर सकते हैं कि सभी पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर जो आपने दिए हैं उन्हें वैसे ही दर्ज किया जाए जैसे वह दिए गए हैं;
- आप विशिष्ट जाँच करने या किसी विशिष्ट व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिए कह सकते हैं;
- आपके बयान न्यायलय के समक्ष साक्ष्य में उपयोग किए जा सकते हैं।
- साक्षात्कार के दौरान, आप तब तक अपने दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, जब तक वह साक्षात्कार में देरी का कारण नहीं बनते हैं। आप साक्षात्कार के दौरान या बाद में, आप इस दस्तावेजों को पुलिस साक्षात्कार बयान में सलंगन करने या न्यायलय रजिस्ट्री के पास जमा किए जाने के लिए कह सकते हैं।

8. साक्षात्कार को फिल्माना

- यदि संभव हो तो, साक्षात्कार को साक्षात्कार कार्यवाही की निगरानी के लिए फिल्माया जा सकता है।
- यह साक्षात्कारकर्ता, सार्वजनिक अभियोजक या परीक्षण मजिस्ट्रेट का निर्णय है।

9. साक्षात्कार के अंत में

साक्षात्कार के अंत में, आपको साक्षात्कार का पाठ्य पढ़ने के लिए दिए जाएगा। आप इसे अपने लिए पढ़ कर सुनाने के लिए भी कह सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप अपने बयान में कोई भी परिवर्तन या स्पष्टीकरण करवाना चाहेंगे।

आप को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?

1. 48 घंटे

आप को अधिकतम 48 घंटे के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

2. परीक्षण मजिस्ट्रेट

- 48 घंटों के भीतर या तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा या परीक्षण मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाद वाला यह निर्णय करेगा कि आपको यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट अनुसार नजरबंद किया जाना चाहिए या नहीं।
- परीक्षण मजिस्ट्रेट पहल के आधार पर आपके मामले की सुनवाई करने के लिए ज़िम्मेदार है। आप अपने सॉलिसिटर से सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। परीक्षण मजिस्ट्रेट आपकी संभव हिरासत के बारे में आप के या आपके सॉलिसिटर द्वारा प्रस्तुत किए विचार सुनेगा।

आप सॉलिसिटर से सहायता लेने के अपने अधिकार का अधित्यजन कर सकते हैं केवल तभी जब आप व्यस्क हैं।

- यदि परीक्षण मजिस्ट्रेट आपकी गिरफ्तारी जा वारंट जारी करता है, तो आपको निम्नलिखित अधिकार होंगे:
 - आप अपने सॉलिसिटर से मुक्त रूप से संपर्क कर सकते हैं।
 - गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पांच दिनों के अंदर अंदर आपको आत्मसमर्पण चैंबर के सामने प्रस्तुत होना होगा, जहां आप अपनी गिरफ्तारी और आपके हिरासत में रखने के तथ्यों को चुनौती दे सकते हैं।

- आत्मसमर्पण चैंबर या अभियोग चैंबर द्वारा सुनवाई से एक दिन पहले आपको अपनी केस फ़ाइल देखने की अनुमति होगी।
- जब तक आप को गिरफ्तारी वारंट का मौखिक अनुवाद नहीं दिया जाता है, आप (लिखित) गिरफ्तारी वारंट के प्रासंगिक अंश का अनुवाद के हकदार हैं अगर आप को जिस भाषा में कार्यवाही की जा रही है वह भाषा नहीं बोलते या आपको समझ में नहीं आती है। यह अनुवाद निः शुल्क है।
- आपका सॉलिसिटर इस प्रक्रिया के बारे में अधिक विवरण के साथ व्याख्या कर सकता है।
- यदि आप बेल्जियम के नागरिक नहीं हैं, तो आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने देश के अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं।

आप अपने अधिकारों की व्याख्या रख सकते हैं।